राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(39)/लेखा/बजट (प्रतिबद्व)/BFC/2022–23/ 4314-4500 दिनांक : 15-9-2021

बजट प्रबंधन प्रक्रिया सम्बन्धी परिपत्र

वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग), राज0 सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 4(48)वित्त–1(1)आ.व्य./2021 दिनांक 06.09.2021 द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए संशोधित अनुमान तैयार करने हेतु "बजट प्रबन्धन प्रक्रिया" बाबत निर्देश जारी किये गये है। (उक्त परिपत्र की प्रति वित्त विभाग की website www.finance.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है)।

बजट प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वित्त विभाग के उक्त परिपत्र का अध्ययन किया जावे एवं परिपत्र में दिये गये दिशा–निर्देशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

वित्त विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार निम्न बिन्दूओं पर विशेष ध्यान रखा जाना है :

(i) मुख्यालय द्वारा प्रतिवर्ष यात्रा व्यय/चिकित्सा व्यय/अन्य मदों में बकाया दायित्वों के विवरण की मांग की जाती है, भविष्य में बकाया दायित्वों की परिभाषा में उन दायित्वों को ही माना जावेगा, जो पे–मैनेजर पर उपलब्ध है। अतः बकाया दायित्वों की सूचना उपलब्ध करवाते समय पे–मैनेजर पर उपलब्ध बकाया दायित्वों का विवरण बजट प्रस्तावों के साथ संलग्न कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अनेक कार्यालयों [उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् के] पी.डी. खाते खोले गये है। साथ ही कुछ कार्यालयों के पी.डी. खाते पूर्व में भी खुले हुए है। इन पी.डी. खातो से सम्वन्धित पूर्ण सूचना, पीडी खाते की Update Passbook की प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति सहित, बजट प्रस्तावों के साथ उपलब्ध करावें, ताकि इनको IFMS पर मैपिंग करवाई जा सके।

इसी प्रकार बैंक खातों की सूचना भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) कार्यालय में किसान सलाहकार समितियों के बैंक खातों की सूचना भी IFMS पर अद्यतन की जावें।

(पी.डी. खाते/बैंक खातों की सूचना हेतु वित्त विभाग के परिपत्र के पृ0 10 पर बिन्दू सख्या "ट" का अवलोकन करावे)

(iii) पूर्व में प्रपत्र–9 एवं 10 प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा IFMS पर अद्यतन किया जाता रहा है, परन्तु इस वर्ष से प्रपत्र–9 एवं 10 बजट नियत्रंक अधिकारी (मुख्यालय) द्वारा ही अद्यतन किया जाना है। अतः कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त दोनो प्रपत्रो की सूचना Offline Mode पर प्रस्तुत करावें।

अपूर्ण बजट प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेगे।

भवदीय,

ह0

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner

क्रमांक : प.3(39) / लेखा / बजट (प्रतिबद्व)/BFC/2022–23 / 4314-4500 दिनांक : 15-09-2021

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. प्राचार्य, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा / उप.नि.कृ.(प्रशिक्षण) टोंक।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (पौध व्याधि / वनस्पति / गुण नियंत्रण), दुर्गापुरा जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (खण्ड) ....।
5. समस्त उप निदेशक, कृषि (गुण नियंत्रण) / (मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला) ....।
6. उप निदेशक, कृषि (खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र) कोटा।
7. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् ....।
8. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) ....।
9. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी ....।
10. उप निदेशक, कृषि (शष्य) मलिकपुर / चित्तौडगढ़ / सुमेरपुर / बूंदी / करणपुर / तबीजी फार्म, अजमेर / रामपुरा जोधपुर / हनुमानगढ़ / लूणकरणसर।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवावें।

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार

Scanned with CamScanner